न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
191/2022	03.08.2022	14.02..2023

//उनवान//

1 जयसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

2 मगनदेवी पुत्री देवीसिंह राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह0 मुण्डावर हाल पत्नि श्री देशराज हाल आबाद ढाणी मोतीसिंह तन गिरूडी तह0 बानसूर जिला अलवर।

3 शायर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह0 मुण्डावर हाल पत्नि सवाईसिंह हाल आबाद बिसालू तह0 बानसूर जिला अलवर।

4 सन्तोष पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह0 मुण्डावर हाल पत्नि हनुमानसिंह हाल निवासी महनपुर तह0 बानसूर जिला अलवर

5 अनिता पुत्री स्व0 लाड बाई पुत्री स्व0 देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह0 बानसूर जिला अलवर हाल पत्नि विनोदसिंह हाल निवासी ढाणी राघव जी की तन कल्याणपुरा कलां तह0 कोटपूतली जिला जयपुर, राज0।

6 बबीता पुत्री स्व0 लाड बाई पुत्री स्व0 देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह0 बानसूर हाल पत्नि चित्रसाल हाल ढाणी राघव जी की तन कल्याणपुरा कलां तह0 कोटपूतली जिला जयपुर, राज0।

7 ममता पुत्री स्व0 लाड बाई पुत्री स्व0 देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह0 बानसूर हाल पत्नि छत्रसाल हाल निवासी ढाणी राघव जी की, तन कल्याणपुरा कलां तह0 कोटपूतली जिला जयपुर, राज0।

8 महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 लाड बाई पुत्री स्व0 देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह0 बानसूर जिला अलवर, राज0।

:– **वादीगण**

बनाम

1 लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:– **प्रतिवादी**

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0 दवामी।

उपस्थितिः– श्री मदनलाल सांवरिया– वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक– 14.02.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 45/0.25, [illegible] /0.25 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर में स्थित है तथा वर्तमान [illegible] मेंट [illegible] 2068 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0नं0 32/0.25 है0 से हाल 45/0.25 है0, [illegible] 33/0.25 है0 से हाल 46/0.25 है0, गत ख0नं0 34/0.25 है0 से हाल 47 [illegible] है0 [illegible] किए गये है तथा गत ख0नं0 32, 33, 34 सैटलमेंट सम्वत् 2029 में साबिक ख0नं0 8 मिन रकबा 3 बीघा 18 बीस्वा वाके पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर से कायम हुये है [illegible] वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की पैत्रिक आराजी है एवं दावा हाजा में विवादित आराजी है। उक्त

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested

आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता एवं नाना देवीसिंह पुत्र श्योनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की पैत्रिक आराजी थी जो उनके बुजुर्गों से देवीसिंह से फौतगी पर विरासत इन्तकाल से प्राप्त हुई है जिसपर वादीगण अपने पिता/नाना के जीवन काल से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी मुतनाजा से दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। जलसेआम दिनांक 29.06.1953 में सहवन से आराजी मुतनाजा के रिकॉर्ड में आराजी मुतनाजा को भूरिया अहीर निवासी माजरीखोला तह0 मुण्डावर के यहां रहन रखने का अंकन होकर उक्त रहन के गलत अंकन के आधार पर उक्त भूरिया के नाम रहन का इन्तकाल सं0 360 दिनांक 29.06.1953 को स्वीकृत होकर तत्कालीन जमाबंदीयात में रहन का अंकन दर्ज हो गया जबकि वादीगण के पिता व नाना देवीसिंह पुत्र श्योनाथ द्वारा आराजी मुतनाजा को कभी–भी भूरिया अहीर के हक में रहन नहीं रखा था। वादीगण एवं उनके पिता/नाना देवीसिंह को आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी इस कारण आराजी मुतनाजा में सहवन से भूरिया अहीर के नाम दर्ज रहन के अंकन की कभी कोई जानकारी नहीं हुई, जिस अंकन की सर्वप्रथम जानकारी वादीगण को दिनांक 18.09.2008 को हुई की उक्त गलत अंकन के आधार पर बाला–बाला भूरिया अहीर के वारीसान द्वारा खातेदारी हक प्राप्त करने की गरज से एक राजस्व वाद सं0 289/2008 बअनुवान रामप्रसाद वगै0 बनाम जयसिंह वगै0 अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किये जाने पर वादपत्र के सम्मन नोटिस मिनवादी सं0 1 जयसिंह को प्राप्त होने पर आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर अवलोकन किए जाने पर, जिस पर वाद का वादीगण द्वारा विस्तृत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित खण्डन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित वाद का पूर्ण विवेक से अवलोकन कर उक्त भूरिया के नाम रहन का गलत अंकन होने के आधार पर भूरिया के वारीसान को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वादपत्र विधिवत रूप से निर्णित कर दिनांक 03.03.2021 को खारीज फरमा दिया गया, जिसकी आज तक किसी भी सक्षम अपीलीय न्यायालय आदि में कोई अपील नहीं की गई है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अंतिम है। ऐसी सूरत में दौराने जलसेआम में सहवन से दर्ज उक्त रहन का अंकन एवं उनके आधार पर भूमि के हक में स्वीकृत रहन का इन्तकाल सं0 360 दिनांक 29.06.1953 आरंभ से ही गैरकानूनी एवं वादीगण के खातेदारी हक हकूकों के खिलाफ होने के कारण शून्य प्रभाव घोषित किया जाना न्यायोचित है। भूरिया अहीर के वारीसान द्वारा रहन के गलत अंकन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए पेश उपरोक्त वर्णित वादपत्र के खारीज होने के बाद वादीगण ने माननीनय न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.03.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि प्राप्त कर तथा अपने नाम विरासत इन्तकाल स्वीकृत करवाकर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाये जाने के बाद उक्त भूरिया अहीर के नाम दर्ज रहन के गलत अंकन को हटाए जाने का दिनांक 20.06.2022 को प्रतिवादी से निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी द्वारा वादीगण को आराजी मुतनाजा में रहन के अंकन को हटाने से साफ मना करते हुए अदालत हाजा से आदेश लेकर [illegible] उक्त रहन के गलत अंकन को हटाने को कहा। इस कारण दावा हाजा पेश [illegible] मुजिमी आया अंकित करते हुए वाद वादीगण डिक्री इश्तकरारहक [illegible] हाल आराजी मुतनाजा वादीगण के बुजुर्गों की पैदाकर्ता की आराजी [illegible] वादीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई पैत्रिक आराजी है तथा आराजी मुतनाजा से किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं तत्कालीन जलसेआम में दिनांक 29.0[illegible]3 को दर्ज रहन का अंकन गलत रूप से दर्ज होने के कारण आरंभ से ही वादीगण के खातेदारी हक हकूकों के खिलाफ है व आरंभ से ही शून्य एवं प्रभाव हीन होने के कारण वादीगण उक्त रहन के गलत अंकन को विधिवत रूप से आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested

आदि से हटवाने के अधिकारी है, घोषित किया जाकर उक्त गलत अंकन को विधिवत रूप से हटाया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किया जावे एवं इसी प्रकार आराजी मुतनाजा की हाल जमाबंदीयात व खसरा गिरदवारी में दूरूस्ती करवाई जावे एवं वाद बेहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री बाबत हु0ई0 दवामी प्रतिवादी को इस कदर बजरिये हु0ई0 दवामी हमेशा–हमेशा के लिए पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहन के गलत इन्द्राज की आड़ में भूरिया अहीर माजरीखोला के वारीसान के हक में हाल राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर से जवाब पैरोकार सरकार पेश होकर शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक जवाब पैरोकार जिम्मनवार वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुए बाद जांच रिकॉर्ड निर्णय योग्य है अंकित करते हुए पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2068 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी 2059–2062 प्रदर्श–2 व 3, नकल जमाबंदी 2069–2073 प्रदर्श–4 एवं बअनुवान रामप्रसाद वगै0 बनाम जयसिंह आदि दावा निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 03.03.2021 की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र जयसिंह पीडब्ल्यू–1, सुभाषचन्द पीडब्ल्यू–2, संदीप कुमार पीडब्ल्यू–3 के पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि हाल आराजी ख0नं0 45/0.25, 46/0.25, 47/0.25 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर में स्थित है तथा वर्तमान सैटलमेंट सम्वत् 2068 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख0नं0 32/0.25 है0 से हाल 45/0.25 है0, गत ख0नं0 33/0.25 है0 से हाल 46/0.25 है0, गत ख0नं0 34/0.25 है0 से हाल 47/0.25 है0 पैमूद किए गये है तथा गत ख0नं0 32, 33, 34 सैटलमेंट सम्वत् 2029 में साबिक ख0नं0 8 मिन रकबा 3 बीघा 18 बीस्वा वाके पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर से कायम हुये है जो वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की पैत्रिक आराजी है आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता एवं नाना देवीसिंह पुत्र श्योनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की पैत्रिक आराजी थी जो उनके बुजुर्गों से देवीसिंह से फौतगी पर विरासत इन्तकाल से प्राप्त हुई है जिसपर वादीगण अपने पिता/नाना के जीवन काल से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी मुतनाजा से दीगर किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरौकार नहीं रहा है। जलसेआम दिनांक 29.06.1953 में सहवन से आराजी मुतनाजा के रिकॉर्ड में आराजी मुतनाजा को भूरिया अहीर निवासी माजरीखोला तह0 मुण्डावर के यहां रहन रखने का अंकन होकर उक्त रहन के गलत अंकन के आधार पर उक्त भूरिया के नाम रहन का इन्तकाल सं0 360 दिनांक 29.06.1953 को स्वीकृत होकर तत्कालीन जमाबंदीयात में रहन का अंकन दर्ज हो गया जबकि वादीगण के पिता व नाना देवीसिंह पुत्र श्योनाथ द्वारा आराजी मुतनाजा को कभी भी भूरिया अहीर के हक में रहन नहीं रखा था। वादीगण एवं उनके पिता/नाना [illegible] आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी इस कारण आराजी मुतनाजा में सहवन से भूरिया अहीर के नाम दर्ज रहन के अंकन की कभी भी जानकारी नहीं हुई, जिस अंकन की सर्वप्रथम जानकारी वादीगण को दिनांक [illegible] को हुई की उक्त गलत अंकन के आधार पर बाला–बाला भूरिया अहीर के वारीसान द्वारा खातेदारी हक प्राप्त करने की गरज से एक राजस्व वाद सं0 289/2008 बअनुवान राम[illegible] वगै0 बनाम जयसिंह वगै0 अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किये जाने पर वादपत्र के सम्मन नोटिस वादी सं0 1 जयसिंह को प्राप्त होने पर आराजी मुतनाजा का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर अवलोकन किए जाने पर, जिस पर वाद का वादीगण द्वारा विस्तृत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested

खण्डन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित वाद का पूर्ण विवेक से अवलोकन कर उक्त भूरिया के नाम रहन का गलत अंकन होने के आधार पर भूरिया के वारीसान को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वादपत्र विधिवत रूप से निर्णित कर दिनांक 03.03.2021 को खारीज फरमा दिया गया, जिसकी आज तक किसी भी सक्षम अपीलीय न्यायालय आदि में कोई अपील नहीं की गई है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अंतिम है। ऐसी सूरत में दौराने जलसेआम में सहवन से दर्ज उक्त रहन का अंकन एवं उनके आधार पर भूमि के हक में स्वीकृत रहन का इन्तकाल सं0 360 दिनांक 29.06.1953 आरंभ से ही गैरकानूनी एवं वादीगण के खातेदारी हक हकूकों के खिलाफ होने के कारण शून्य प्रभाव घोषित किया जाना न्यायोचित है अपने वादपत्र की ताईद में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2068 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी 2059–2062 प्रदर्श–2 व 3, नकल जमाबंदी 2069–2073 प्रदर्श–4 एवं बअनुवान रामप्रसाद वगै0 बनाम जयसिंह आदि दावा निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 03.03.2021 की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र जयसिंह पीडब्ल्यू–1, सुभाषचन्द पीडब्ल्यू–2, संदीप कुमार पीडब्ल्यू–3 के पेश किये जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार से वादीगण ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है का अभिकथन करते हुए वादी वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 45/0.25, 46/0.25, 47/0.25 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं दिनांक 29.06.1953 से भूरिया अहीर निवासी माजरीखोला तहसील मुण्डावर के नाम हो रहे रहन के अंकन एवं उसके पश्चात् भूरिया के वारीसान के नाम से हो रहे रहन के अंकन को आरंभ से ही शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण उक्त आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **14.02.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

14-02-2023

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बडगूजर)
मुण्डावर, अलवर, राज0

खण्डन किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित वाद का पूर्ण विवेक से अवलोकन कर उक्त भूरिया के नाम रहन का गलत अंकन होने के आधार पर भूरिया के वारीसान को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वादपत्र विधिवत रूप से निर्णित कर दिनांक 03.03.2021 को खारीज फरमा दिया गया, जिसकी आज तक किसी भी सक्षम अपीलीय न्यायालय आदि में कोई अपील नहीं की गई है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अंतिम है। ऐसी सूरत में दौराने जलसेआम में सहवन से दर्ज उक्त रहन का अंकन एवं उनके आधार पर भूमि के हक में स्वीकृत रहन का इन्तकाल सं0 360 दिनांक 29.06.1953 आरंभ से ही गैरकानूनी एवं वादीगण के खातेदारी हक हकूकों के खिलाफ होने के कारण शून्य प्रभाव घोषित किया जाना न्यायोचित है अपने वादपत्र की ताईद में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2068 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी 2059–2062 प्रदर्श–2 व 3, नकल जमाबंदी 2069–2073 प्रदर्श–4 एवं बअनुवान रामप्रसाद वगै0 बनाम जयसिंह आदि दावा निर्णय एवं पर्चा डिक्री दिनांक 03.03.2021 की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र जयसिंह पीडब्ल्यू–1, सुभाषचन्द पीडब्ल्यू–2, संदीप कुमार पीडब्ल्यू–3 के पेश किये जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार से वादीगण ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है का अभिकथन करते हुए वादी वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0नं0 45 / 0.25, 46 / 0.25, 47 / 0.25 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं दिनांक 29.06.1953 से भूरिया अहीर निवासी माजरीखोला तहसील मुण्डावर के नाम हो रहे रहन के अंकन एवं उसके पश्चात् भूरिया के वारीसान के नाम से हो रहे रहन के अंकन को आरंभ से ही शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण उक्त आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **14.02.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested

14-02-2023

(पंकज [illegible])
न्यायालय [illegible] अधिकारी
मुण्डावर [illegible]वर, राज0

[illegible]अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला अलवर राज०

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
191/2022	03.08.2022	14.02..2023

//उनवान//

1 जयसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०।

2 मगनदेवी पुत्री देवीसिंह राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह० मुण्डावर हाल पत्नि श्री देशराज हाल आबाद ढाणी मोतीसिंह तन गिरूडी तह० बानसूर जिला अलवर।

3 शायर पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह० मुण्डावर हाल पत्नि सवाईसिंह हाल आबाद बिसालू तह० बानसूर जिला अलवर।

4 सन्तोष पुत्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी पदमाडा कलां तह० मुण्डावर हाल पत्नि हनुमानसिंह हाल निवासी महनपुर तह० बानसूर जिला अलवर

5 अनिता पुत्री स्व० लाड बाई पुत्री स्व० देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह० बानसूर जिला अलवर हाल पत्नि विनोदसिंह हाल निवासी ढाणी राघव जी की तन कल्याणपुरा कलां तह० कोटपूतली जिला जयपुर, राज०।

6 बबीता पुत्री स्व० लाड बाई पुत्री स्व० देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह० बानसूर हाल पत्नि चित्रसाल हाल ढाणी राघव जी की तन कल्याणपुरा कलां तह० कोटपूतली जिला जयपुर, राज०।

7 ममता पुत्री स्व० लाड बाई पुत्री स्व० देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह० बानसूर हाल पत्नि छत्रसाल हाल निवासी ढाणी राघव जी की, तन कल्याणपुरा कलां तह० कोटपूतली जिला जयपुर, राज०।

8 महेन्द्रसिंह पुत्र स्व० लाड बाई पुत्री स्व० देवीसिंह जाति राजपूत निवासी बिसालू तह० बानसूर जिला अलवर, राज०।

:— **वादीगण**

बनाम

1 लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज०।

:— **प्रतिवादी**

दावा — इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हु०ई० दवामी।

—: पर्चा डिक्री :—

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री मदनलाल सांवरिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.02.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है :—

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested

हाल आराजी ख०नं० 45/0.25, [illegible] ग्राम पदमाडा खुर्द तह० मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद की डिक्री [illegible] जाता है एवं दिनांक 29.06.1953 से भूरिया अहीर निवासी माजरीखोला तहसील मुण्डावर के नाम हो रहे रहन के अंकन एवं उसके पश्चात् भूरिया के वारीसान के नाम से हो रहे रहन के अंकन को आरंभ से ही शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण उक्त आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 14.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

14-02-2023

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested